सिक्योरिटी इंटरेस्ट का प्रवर्तन और ऋण वसूली संबंधी कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) बिल, 2016: बिल और ज्वाइंट कमिटी के सुझावों की एक्ट्स के साथ तुलना

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 11 मई, 2016 को लोकसभा में सिक्योरिटी इंटरेस्ट का प्रवर्तन और ऋण वसूली संबंधी कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) बिल, 2016 पेश किया था। इसके तहत चार कानूनों: (i) रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनांशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 1993, (ii) सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनांशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002, (iii) इंडियन स्टैम्प एक्ट, 1899, और (iv) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 को संशोधित करने का प्रयास किया गया है। बिल को विचारार्थ संसद की ज्वाइंट कमिटी के पास भेजा गया जिसने 22 जुलाई, 2016 को अपनी रिपोर्ट और एक परिवर्तित बिल सौंप दिया।

नीचे दी गई तालिकाओं में 2016 के बिल और ज्वाइंट कमिटी के सुझावों पर आधारित परिवर्तित बिल के साथ एक्ट्स के प्रावधानों की तुलना की गई है।

सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनांशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (सरफेसी एक्ट, 2002)

तालिका 1 : 2016 के बिल और ज्वाइंट कमिटी के सुझावों के साथ सरफेसी एक्ट, 2002 की तुलना

सरफेसी एक्ट, 2002	सिक्योरिटी इंटरेस्ट का प्रवर्तन और ऋण वसूली संबंधी कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) बिल, 2016	ज्वाइंट कमिटी की रिपोर्ट पर आधारित परिवर्तित बिल
एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) की परिभाषा		
▪ कंपनी एक्ट, 1956 के तहत एक सिक्योरिटाइजेशन या रीकंस्ट्रक्शन कंपनी पंजीकृत की जा सकती है।	▪ सिक्योरिटाइजेशन या रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों को एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियां (एआरसी) कहा जाएगा और उन्हें कंपनी एक्ट, 2013 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। ▪ 2016 के बिल में यह जोड़ा गया है कि एक एआरसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के साथ पंजीकृत करना होगा।	▪ परिवर्तित बिल में यह जोड़ा गया है कि एआरसी को कंपनी एक्ट, 2013 या किसी दूसरे कानून (जैसे कंपनी एक्ट, 1956) के तहत निगमित किया जा सकता है। ▪ कोई परिवर्तन नहीं।
एआरसी को स्थापित करने की शर्तें		
▪ एक्ट एआरसी को स्थापित करने के लिए आठ शर्तें रखता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं: • स्पांसर (जैसे कि एक निवेशक) एआरसी में हिस्सेदारी को नियंत्रित नहीं कर सकता।	▪ 2016 का बिल इस शर्त को बदलता है और आरबीआई को 'उपयुक्त और उचित' स्पांसर के मानदंड को तय करने की अनुमति देता है।	▪ परिवर्तित बिल आरबीआई को दिशानिर्देश जारी करते हुए ऐसा करने की अनुमति देता है।

वत्सल खुल्लर
vatsal@prsindia.org

28 जुलाई, 2016

[स्पांसर कोई ऐसा आदमी होता है जो 10% से अधिक शेयरों को होल्ड करता है] • निदेशक बोर्ड के आधे से अधिक हिस्से पर स्पांसर के प्रतिनिधियों की नियुक्त नहीं की जा सकती।	▪ बिल में कोई संशोधन नहीं है।	▪ बिल में इस शर्त को हटाया गया है।
स्टैम्प ड्यूटी से छूट		
▪ एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है।	▪ बिल यह प्रावधान करता है कि एआरसी के पक्ष में वित्तीय एसेट्स के ट्रांसफर से जुड़े लेनदेन में स्टैम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी।	▪ अगर सिक्योरिटाइजेशन या रीकंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त किसी और उद्देश्य से एसेट हस्तांतरित किया जाता है तो यह छूट लागू नहीं होगी।
एआरसी द्वारा एसेट्स का अधिग्रहण		
▪ एक्ट एआरसी को वित्तीय एसेट्स के अधिग्रहण की अनुमति देता है। ▪ अधिग्रहण के बाद किसी एसेट से संबंधित अनुबंधों, दस्तावेजों, समझौतों इत्यादि को एआरसी के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने की अनुमति देता है।	▪ इसके अतिरिक्त, बिल एआरसी को इन एसेट्स का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है, भले ही वे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पर वर्गीकृत किए गए हों। ▪ इसके अतिरिक्त, बिल यह अपेक्षा करता है कि अधिग्रहण के बाद रिकॉर्ड में एआरसी का नाम प्रतिस्थापित किया जाएगा।	▪ बिल में इस संशोधन को हटाया गया है। ▪ बिल में इस संशोधन को हटाया गया है।
एआरसी का ऑडिट और निरीक्षण		
▪ एक्ट आरबीआई को एआरसी की सूचना और वक्तव्यों को मांगने की अनुमति देता है।	▪ 2016 के बिल में यह जोड़ा गया है कि आरबीआई एआरसी का ऑडिट और निरीक्षण करेगा।	▪ इसके अतिरिक्त आरबीआई ऑडिट और निरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ संस्था को अधिकृत कर सकता है।
एआरसी के चेयरमैन या निदेशक को हटाया जाना		
▪ एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है।	▪ अगर एआरसी के व्यापार का तरीका जनहित के खिलाफ है तो आरबीआई उसके चेयरमैन या निदेशक को हटा सकता है।	▪ परिवर्तित बिल में यह प्रावधान है कि पद से हटाए जाने से पहले चेयरमैन या निदेशक को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा।
आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन न किए जाने पर दंड		
▪ अगर एआरसी आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन नहीं करती तो आरबीआई उसे दंडित कर सकता है।	▪ बिल इस प्रावधान को हटाता है और यह प्रावधान करता है कि, • एआरसी द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति में आरबीआई दंड दे सकता है *[नई धाराएं 12 सी और 12 डी]*, • आरबीआई के तहत आने वाली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दंड दे सकती है *[नई धाराएं 30 ए, 30 बी, 30 सी और 30 डी]*।	▪ बिल धारा 12 सी और 12 डी की प्रविष्टियों को हटाता है। (कमिटी ने यह पाया कि दंड के प्रावधानों के लिए प्रस्तावित धाराएं 30 ए से 30 डी बहुत व्यापक हैं और 12 सी और 12 डी अनावश्यक हैं।)

सुरक्षित लेनदार को एसेट के हस्तांतरण से रोकना		
▪ एक्ट कहता है कि अगर देय भुगतान हस्तांतरण की तिथि से पहले कर दिया जाता है तो सुरक्षित लेनदार एसेट की बिक्री या हस्तांतरण नहीं कर सकता।	▪ बिल कहता है कि अगर सुरक्षित लेनदार ने भुगतान प्राप्त कर लिया है तो वह एसेट का लीज या असाइनमेंट नहीं कर सकता।	▪ इसके अतिरिक्त, परिवर्तित बिल इन कार्यों को प्रतिबंधित करता है, अगर सुरक्षित लेनदार ने (i) नीलामी के नोटिस के प्रकाशित होने, या (ii) कोटेशन या टेंडर के इनविटेशन से पहले भुगतान प्राप्त कर लिया हो।
सिक्योरिटी इंटरेस्ट के प्रवर्तन में जिला अधिकारी का सहयोग		
▪ एक्ट जिलाधीश (डीएम) के सहयोग से सुरक्षित लेनदार द्वारा जमानत प्रतिभूति पर कब्जा करने की अपेक्षा करता है।	▪ 2016 का बिल जमानत प्रतिभूति पर कब्जे संबंधी आवेदन के अनुमोदन के लिए 30 दिन की समय-सीमा का प्रावधान करता है।	▪ बिल कहता है कि अगर किन्हीं स्थितियों में डीएम 30 दिन के अंदर आदेश जारी नहीं कर पाता, तो समय-सीमा को 60 दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए।
बैंकों द्वारा ऋण को इक्विटी में बदलने की स्थिति में डीएम का सहयोग		
▪ एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है।	▪ 2016 का बिल अपेक्षा करता है कि बैंकों के एसेट्स या कंपनी के प्रबंधन को कब्जे में लेने की स्थिति में डीएम द्वारा सहयोग दिया जाएगा।	▪ परिवर्तित बिल में इस संशोधन को हटाया गया है।
एक्ट के तहत अपील		
▪ एक्ट पीड़ित व्यक्तियों को ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी) में अपील दायर करने की अनुमति देता है। हालांकि एक्ट डीआरटी के क्षेत्राधिकार को पारिभाषित नहीं करता।	▪ 2016 का बिल स्पष्ट करता है कि उस डीआरटी में अपील दायर की जा सकती है, जहां, • कार्रवाई का कारण बना हो, या • सुरक्षित एसेट स्थित हो।	▪ परिवर्तित बिल में यह जोड़ा गया है कि अपील उस डीआरटी में दायर की जा सकती है जिसके क्षेत्राधिकार में वह बैंक आता हो जहां ऋण की राशि बकाया है।
डीआरटी की शक्ति		
▪ एक्ट डीआरटी को अधिकार देता है कि वह देनदार को व्यवसाय के प्रबंधन या सुरक्षित एसेट्स को बहाल रखने की अनुमति दे सकती है।	▪ बिल इस अधिकार को व्यापक बनाते हुए डीआरटी को इस बात का अधिकार देता है कि वह देनदार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पास सुरक्षित एसेट या व्यवसाय के प्रबंधन को बहाल रखने की अनुमति दे सकती है।	▪ बिल प्रावधान करता है कि एसेट पर किसी व्यक्ति के कब्जे को बहाल करने से पहले डीआरटी को टेनेन्सी या लीज से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियों की जांच करनी होगी।

Sources: Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002; Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2016; Joint Committee Report on Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Bill, 2016; PRS.

रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनांशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 1993 (आरडीडीबीएफआई एक्ट, 1993)

तालिका 2 : 2016 के बिल और ज्वाइंट कमिटी के सुझावों के साथ आरडीडीबीएफआई एक्ट, 1993 की तुलना

आरडीडीबीएफआई एक्ट, 1993	सिक्योरिटी इंटरेस्ट का प्रवर्तन और ऋण वसूली संबंधी कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) बिल, 2016	ज्वाइंट कमिटी की रिपोर्ट पर आधारित परिवर्तित बिल
पीठासीन अधिकारी या चेयरमैन की नियुक्ति		
▪ एक्ट एक डीआरटी के पीठासीन अधिकारी को दूसरी डीआरटी के लिए कार्य करने की अनुमति देता है।	▪ बिल में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।	▪ बिल किसी अन्य कानून के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल (जैसे राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इत्यादि) के पीठासीन अधिकारी को डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी कार्य करने की अनुमति देता है।
▪ ऋण वसूली अपीलीय ट्रिब्यूनल (डीआरएटी) के चेयरपर्सन को दूसरी डीआरएटी के लिए भी कार्य करने की अनुमति देता है।	▪ बिल में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।	▪ बिल किसी अन्य कानून के तहत स्थापित अपीलीय ट्रिब्यूनल के चेयरमैन को डीआरटी के चेयरमैन के रूप में भी कार्य करने की अनुमति देता है।
प्रॉपर्टी के निपटारे के खिलाफ अंतरिम एकपक्षीय आदेश		
▪ एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है।	▪ बिल केस का फैसला होने तक प्रतिवादी को एसेट्स का निपटारा करने से रोकने के लिए डीआरटी को अंतरिम एकपक्षीय (किसी एक पक्ष के उपस्थित न होने की स्थिति में) आदेश जारी करने की अनुमति देता है।	▪ परिवर्तित बिल डीआरटी के अधिकार को खत्म करता है।
ऋण वसूली के तरीके		
▪ एक्ट ऋण वसूली के तीन तरीके बताता है: • प्रॉपर्टी की बिक्री, • प्रतिवादी की गिरफ्तारी और उसे हिरासत में लेना, और • प्रतिवादी की प्रॉपर्टी को प्रबंधित करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति।	▪ बिल सुरक्षित लेनदार को जमानत प्रतिभूति पर कब्जा करने की अनुमति भी देता है।	▪ इसके अतिरिक्त, बिल केंद्र सरकार को वसूली के किसी और तरीके को स्पष्ट करने की अनुमति देता है।

Sources: Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993; Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2016; Joint Committee Report on Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Bill, 2016; PRS.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च "पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।